कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

जिला गव्य विकास कार्यालय, चतरा।

वर्ष 2025–26, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना(गव्य प्रकोष्ठ)अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र सृजन हेतु आवश्यक दिशा निदेश :–

वित्तीय वर्ष 2025–26, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत इच्छुक ग्रामीण कृषकों/पशुपालकों के लिए कृषि के अतिरिक्त आय का साधन हेतु गव्य विकास द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही है, जिसके लिए आवेदकों का सर्वप्रथम ग्राम सभा से संबंधित योजना के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र के सृजन के दम्यान निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी:–

(1) आवेदक के आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति (2) आवेदक के बैंक खाता के पासबुक की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति (3) स्थानीय प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति (4) अनु0 जाति/अनु0जन जाति के आवेदकों की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति (5) पैन कार्ड/वोटर कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति (6) ग्राम सभा के कार्यवाही की अभिप्रमाणित छायाप्रति (7) दुधारू गाय की योजना के लिए शेड निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि का रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति (8) दो दुधारू गाय की योजना के लिए स्व–अभिप्रमाणित घोषणा पत्र (9) प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति (10) अहर्त्ता के अनुसार अन्य प्रमाण पत्र।

योजना से संबंधित विशेष जानकारी के लिए योजना का स्वरूप निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभुक अहर्त्ता
1	दो दुधारू गाय/भैंस की योजना	135050.00	90 %	आपदा/आगलगी से प्रभावित/सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला/परित्यक्त/दिव्यांग महिला
			75 %	सभी महिला लाभुक के लिए (आपदा/आगलगी से प्रभावित/सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला/परित्यक्त/दिव्यांग महिलाओं को छोड़कर)
	कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना			
2	05 दुधारू गाय/भैंस (मिनी डेयरी) की योजना	337625.00	75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			50 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
3	10 दुधारू गाय/भैंस (मिडी डेयरी) की योजना	675250.00	75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			50 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
	चारा कल मशीन वितरण की योजना			
4	हस्त चालित चैफ कटर वितरण की योजना	12000.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
5	विद्युत चालित चैफ कटर वितरण की योजना	26000.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
	प्रगतिशील डेयरी कृषकों का सहायता योजना			
6	मिल्कींग मशीन की योजना	120000.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति

Scanned with CamScanner

			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
7	पनीर एवं खोवा मेंकिंग यूनिट	100000.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
8	वर्मी कम्पोस्ट	25000.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
9	बोरिंग 400ft	100000.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए
10	काउ मैट	5200.00	90 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों /दुग्ध सहकारी समिति
			75 %	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लाभुकों/दुग्ध सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए

नोट :–

1. आवेदक का उम्र 18 वर्ष से उपर किन्तु 55 वर्ष से नीचे होना चाहिए। लाभुक का चयन उपरान्त एक सप्ताह का विभागीय संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक होगा।
2. इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों का चयन , पंचायत स्तरीय समिति / ग्राम सभा की अनुशंसा, कराते हुए प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरान्त उपायुक्त,महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा। पंचायत स्तरीय समिति में ग्राम प्रधान नहीं रहने पर मुखिया, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन(JMF)के प्रतिनिधि/ दुग्ध मित्र सदस्य रहेगें। विगत 05 वर्षो में जिन परिवारों द्वारा अनुदान का लाभ लिया गया है, उन्हें पुनः अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।
3. इस योजना के लिए आवासीय,जाति एवं महिलाओं का दिव्यांगता प्रमाण पत्र त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य अथवा संबंधित जिला परिषद् सदस्य द्वारा निर्गत किया जा सकता है।
4. उपायुक्त,चतरा की अध्यक्षता में गठित स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित लाभुकों का ESCROW /DEDICATED ACCOUNT खोले जाने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर लाभुक अंशदान की राशि जमा करना होगा। लाभुक अंशदान की राशि निर्धारित अवधि में जमा नही किये जाने के स्थिति में प्रतिक्षा सूची से लाभुक का चयन कर लिया जायेगा।
5. कामधेनु डेयरी योजना का क्रियान्वयन अनुदान–सह–लाभुक अंशदान/बैंक ऋण पर किया जायेगा।
6. दुधारू मवेशी वितरण योजना का क्रियान्वयन के क्रम में दुधारू मवेशी का क्रय 06 माह के अन्तराल पर दो चरणों में किया जायेगा।
7. दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत पशु शेड का निर्माण मनरेगा अन्तर्गत उपलब्ध निधि के अभिसरण से किया जायेगा। वैसे चयनित पशुपालक, जिनके पास मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत पशु शेड निर्मित है की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. लाभुक द्वारा दुधारू पशुओं का लगातार तीन पाली दुहाई एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त दुधारू पशु विक्रेता के साथ मोल–भाव कर दुधारू गाय का कीमत तय किया जाएगा। गव्य विकास निदेशालय से निबंधित सूचीबद्ध पशु विक्रेता से दुधारू पशु क्रय किया जायेगा।
9. हस्त चालित/ विद्युत चालित चारा काटने की मशीन की योजना एवं प्रगतिशील डेयरी कृषकों की सहायता योजना का लाभ गव्य विकास निदेशालय,स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित गुणवता मेक

Scanned with CamScanner

अथवा राज्योदश में उल्लेखित दर दोनों में जो कम होगा, उसके आधार पर क्रय उपरान्त स्वीकृत अनुदान की राशि को उनके दावा विपत्र के आधार पर किया जायेगा।

10. वैसे पशुपालक जिनके पास कम से कम 05 उन्नत देशी नस्ल/संकर नस्ल के दुधारू मवेशी रखते है, हस्त चालित चारा कल मशीन की योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होगें। वैसे पशुपालक जिनके पास कम से कम 10 उन्नत देशी नस्ल/संकर नस्ल के दुधारू मवेशी रखते है, विद्युत चालित चारा कल मशीन का लाभ लेने के लिए योग्य होगें।

11. वर्मी कम्पोस्ट यूनिट एवं बोरिंग आदि हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त प्राक्कलित राशि अथवा एवं योजना के अनुमानित लागत दोनों मे से जो कम हो, के आधार पर अनुदान राशि लाभुकों को उनके विपत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

12. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्गत राज्यादेश के तहत् निर्धारित स्वीकृत लक्ष्य के सापेक्ष लाभुकों का चयन एवं विहित प्रक्रिया अपनाते हुए उनके बैंक खाता में अनुदान की राशि डी0बी0टी0 किया जायेगा।

16/09/2025

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
चतरा।

Scanned with CamScanner